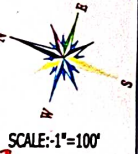


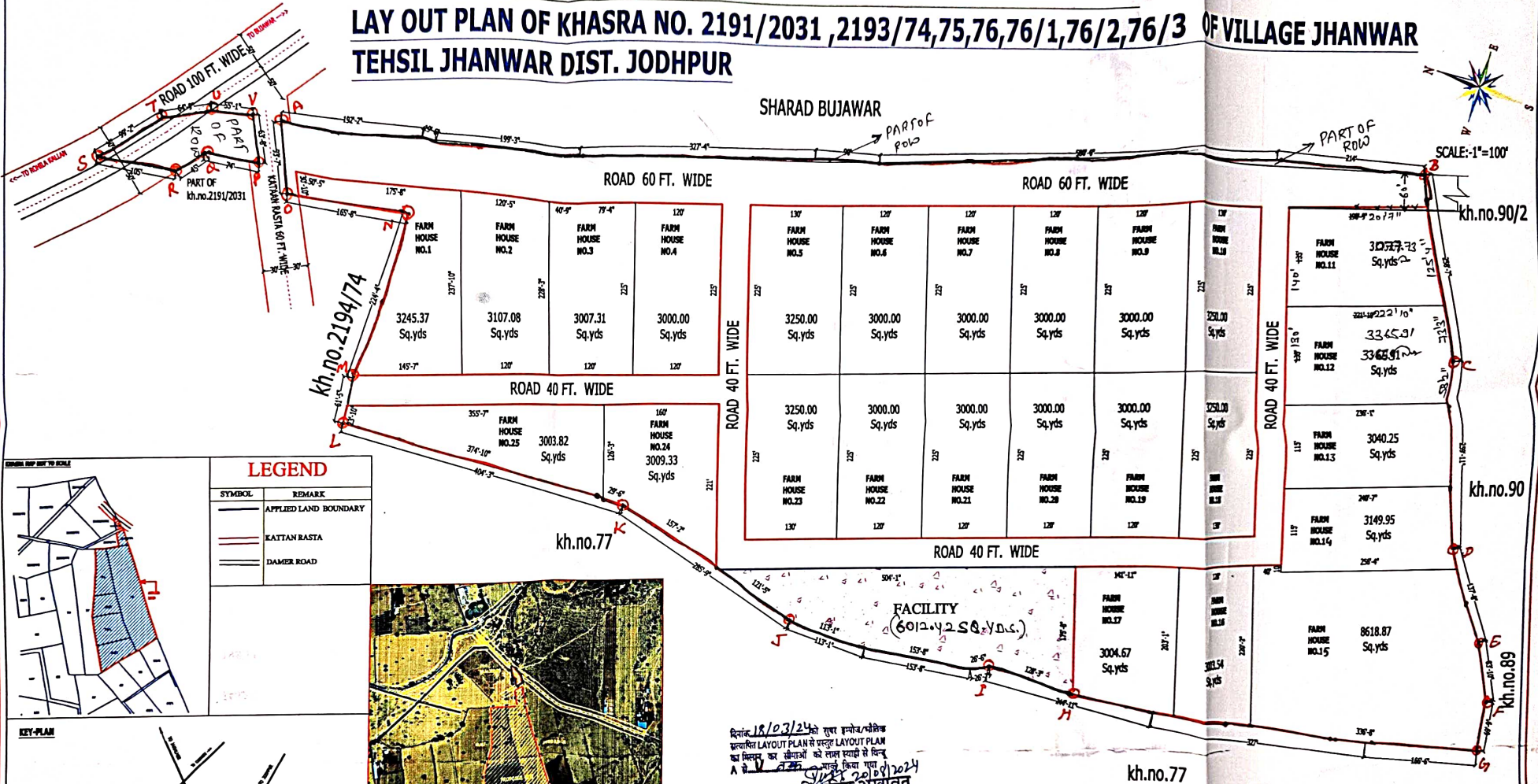
"NAV KAR - FARM'S"

LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 2191/2031, 2193/74, 75, 76, 76/1, 76/2, 76/3 OF VILLAGE JHANWAR
TEHSIL JHANWAR DIST. JODHPUR

SHARAD BUJAWAR

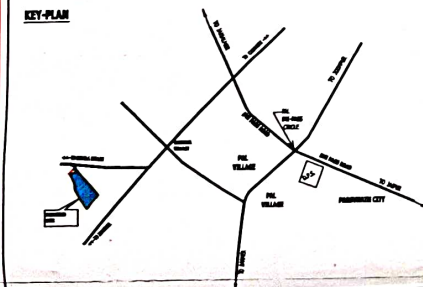
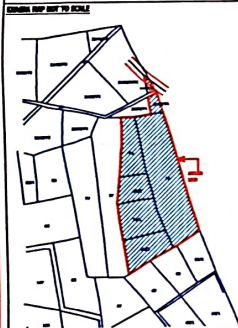


SCALE:-1"=100'



LEGEND

SYMBOL	REMARK
---	APPLIED LAND BOUNDARY
---	KATTAN RASTA
---	DANGER ROAD



LAND USES ANALYSIS

PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA OF %
FARM HOUSE AREA	82634.23	74.65%
FACILITY AREA	6012.42	05.43%
ROAD AREA	2231.89	19.98%
TOTAL SCHEME AREA	110695.64	100.00%

Area in Bigha = 57 Bigha, 03 Bishwa, 11 BISHWANSHI

दिनांक 18/03/24 को गुरु इन्दर/सर्वीस
अनुसार LAYOUT PLAN में प्रस्तुत LAYOUT PLAN
का मिलाप कर सीमाओं को लाने खाती से किन्
A से B तक का गुरु किया गया
ललितोसिंह अखावत
मालिक (पूजा)
योगेश्वर प्रसाद
योगेश्वर

नोट:- उक्त आवेदित खसरा में राजस्व रेट्स अनुसार कुल क्षेत्रफल 9.9415 हेक्टर है जिसमें से
पर उपलब्ध श्रमिक क्षेत्रफल 9.2552 हेक्टर है।
(अमीन जोगधर)

Kumawat Survey & Planning Services
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 194

1.	आयोजना शाखा में प्राप्त क्रमांक/दिनांक	112/28.03.2024
2.	आवेदक का नाम	श्री चन्द्राराम, श्री भीकाराम पुत्रान् श्री ऊजाराम, श्री धुडाराम, श्री पीराराम पुत्रान् श्री करतुर राग, श्री नरेन्द्र जैन पुत्र श्री दानमल जैन, श्री रायचन्द पुत्र श्री बुताराम
3.	राजस्व ग्राम	झवर
4.	खसरा संख्या	2191/2031, 2193/74, 75, 76/1, 76/3, 76, 76/2
5.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	99415 वर्गमी. में से 99094 वर्गमीटर
6.	प्रार्थी द्वारा चाहा गया उपयोग	फार्म हाऊस योजना
7.	निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया, विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- - आवेदित भूमि के उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर (सड़क के मध्य बिन्दु से 15 मीटर) की सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में खसरा सं. 2191/2031 एवं 2193/74 के मध्य स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार 18 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावे। आपत्ति का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय अनुसार सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। आपत्ति का निस्तारण नहीं होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। - रेरा अधिनियम-2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। - आयोजना शाखा द्वारा नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए दिये गए सुझावों एवम् टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों को समावेश करते हुए समिति द्वारा ले-आउट प्लान जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। - टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक द्वारा की जावे। उक्त की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावे। - फार्म हाऊस योजना में स्थित भूखण्डों के पट्टा-विलेख जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाऊस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। - आवेदित भूमि में मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। - अनुमोदित मानचित्र अनुसार प्रार्थी/आवेदक द्वारा मौके पर डिमार्केशन उपरान्त ही नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही जोन स्तर से की जावे। - आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की स्थिति व क्षमता के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावे। साथ ही आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सड़क के सहारे आवेदक द्वारा शिफ्ट की जावे, जिसकी सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर से नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे। - आवेदित भूमि में सड़क मार्गाधिकार में निर्माण नहीं होने की स्थिति में ही जोन स्तर से नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे। - उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लिया जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे। - प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

JDA / Dir (P) / 2-04 / 547 / 07/10/24

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2024 /

दिनांक:-

—:कार्यवाही विवरण:—

विषय:- भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की 18/2024 वीं बैठक दिनांक 05.07.2024 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर संलग्न है। बैठक के दौरान जोन-4 के प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये।

समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की जोन-4 की 12/2024 वीं बैठक दिनांक 28.02.2024 के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 01 (राजकाज सं. 05286) (बैठक दिनांक 05.07.2024) :-

1.	आयोजना शाखा में प्राप्ति क्रमांक/दिनांक	93/01.02.2024
2.	आवेदक का नाम	श्री विवेक लाहोटी पुत्र श्री सुरेश कुमार
3.	राजस्व ग्राम	महादेव नगर उन्देड़ा
4.	खसरा संख्या	10/1, 10/4, 10/6, 10/7, 18, 76 एवं 77
5.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	39677.72 वर्गमीटर
6.	i. मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान 2031 के अनुसार भू-उपयोग	ग्रामीण क्षेत्र
	ii. आवेदित भू-उपयोग मास्टर/जोनल प्लान अनुसार अनुज्ञेय है अथवा नहीं	अनुज्ञेय है।
	iii. जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित सड़क से प्रभावित हैं अथवा नहीं	नहीं
7.	प्रार्थी द्वारा चाहा गया उपयोग	रिसोर्ट एकल
8.	आवेदित भूमि का न्यूनतम 100 मीटर का सर्वे प्लान	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 37 पर संलग्न है।
9.	आवेदक द्वारा प्रस्तुत गूगल प्लान की प्रमाणित प्रति (Coordinate सहित)	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 35 पर संलग्न है।
10.	सहायक नगर नियोजक/प्रारूपकार द्वारा पार्ट लैण्ड-यूज प्लान की प्रमाणित प्रति	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 52 पर संलग्न है।
11.	प्रस्तावित ले-आउट प्लान की प्रति (आवेदक व तकनीकीविज्ञ द्वारा प्रमाणित)	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 38 पर संलग्न है।
12.	जोन चैकलिस्ट की प्रति	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 49-51 पर संलग्न है।
13.	राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 45-46 पर संलग्न है।
14.	प्राधिकरण तहसीलदार की रिपोर्ट	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 42 पर संलग्न है।



एजेण्डा संख्या 02 (राजकाज सं. 02207) (बैठक दिनांक 05.07.2024) :-

1.	आयोजना शाखा में प्राप्ति क्रमांक/दिनांक	112 / 28.03.2024			
2.	आवेदक का नाम	श्री चन्द्राराम, श्री भीकाराम पुत्रान् श्री ऊर्जाराम, श्री धुड़ाराम, श्री पीराराम पुत्रान् श्री कस्तुर राम, श्री नरेन्द्र जैन पुत्र श्री दानमल जैन, श्री रायचन्द पुत्र श्री बुताराम			
3.	राजस्व ग्राम	झंवर			
4.	खसरा संख्या	2191 / 2031, 2193 / 74, 75, 76 / 1, 76 / 3, 76, 76 / 2			
5.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	99415 वर्गमी. मे से 99094 वर्गमीटर			
6.	i. मास्टर/जोनल डवलपमेंन्ट प्लान 2031 के अनुसार भू-उपयोग	यू-2			
	ii. आवेदित भू-उपयोग मास्टर/जोनल प्लान अनुसार अनुज्ञेय है अथवा नहीं	अनुज्ञेय है			
	iii. जोनल डवलपमेंन्ट प्लान की प्रस्तावित सड़क से प्रभावित है अथवा नहीं	जोनल डवलपमेंन्ट प्लान की 30 मीटर सड़क से प्रभावित है।			
7.	प्रार्थी द्वारा चाहा गया उपयोग	फार्म हाऊस योजना			
8.	आवेदित भूमि का न्यूनतम 100 मीटर का सर्वे प्लान	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 48 व 51 पर संलग्न है।			
9.	आवेदक द्वारा प्रस्तुत गूगल प्लान की प्रमाणित प्रति (Coordinate सहित)	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 49 व 55 पर संलग्न है।			
10.	सहायक नगर नियोजक/प्रारूपकार द्वारा पार्ट लैण्ड-यूज प्लान की प्रमाणित प्रति	राजकाज पर PUC -2/C पर संलग्न है।			
11.	प्रस्तावित ले-आऊट प्लान की प्रति (आवेदक व तकनीकीविज्ञ द्वारा प्रमाणित)	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 54 पर संलग्न है।			
12.	जोन चैकलिस्ट की प्रति	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 73-75 पर संलग्न है।			
13.	राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 63-65 पर संलग्न है।			
14.	प्राधिकरण तहसीलदार की रिपोर्ट	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 62 पर संलग्न है।			
15.	तकनीकीविद्/आर्किटेक्ट का विवरण व शपथ पत्र	मै. कुमावत सर्वे एण्ड प्लानिंग सर्विसेज			
16.	ले-आऊट प्लान का प्रकार	फार्म हाऊस योजना			
		2 हैक्टेयर से कम	2-10 हैक्टेयर	10 हैक्टेयर से अधिक	
17.	सहायक नगर नियोजक/प्रारूपकार द्वारा किए गए क्षेत्र विश्लेषण/मानदण्ड आदि का विवरण	राजकाज पर पैरा संख्या एन/5 पर संलग्न है।			
18.	प्रस्तुत ले-आऊट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण				
	क्र. सं.	विश्लेषण बिन्दू	नियमानुसार मानदण्ड	ले-आऊट प्लान में प्रदर्शित	टिप्पणी
	A.	योजना ले-आऊट प्लान में दर्शित कुल क्षेत्रफल	न्यूनतम क्षेत्रफल निर्धारित नहीं है	92555.64 वर्गमीटर	अनुज्ञेय है
	B.	जमाबन्दी अनुसार क्षेत्रफल (जोन चैक लिस्ट अनुसार)	99094 वर्गमीटर	92555.64 वर्गमीटर	अनुज्ञेय है

	C.	फार्म हाऊस क्षेत्रफल	अधिकतम 75 प्रतिशत	74.35 प्रतिशत	अनुज्ञेय है
	D.	ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. एच. क्षेत्र	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
	E.	वाणिज्यिक क्षेत्र	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
	F.	सुविधा क्षेत्र	न्यूनतम 5 प्रतिशत	5.00 प्रतिशत	अनुज्ञेय है
	G.	पार्क/खुला क्षेत्र/वृक्षारोपण	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
	H.	पहुंच मार्ग की चौड़ाई	राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 अनुसार 24 मीटर	100, 60 फीट	अनुज्ञेय है
19.	ले-आऊट प्लान अनुमोदन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर टिप्पणी			जोन चैक लिस्ट अनुसार कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी है	
20.	यदि पूर्व में उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान समिति में रखा गया है तो बैठक दिनांक एवं विवरण अंकित करें साथ ही बैठक कार्यवाही विवरण भी संलग्न करें।			नहीं	
21.	प्रकरण के तथ्य : 1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार यू-2 प्रयोजनार्थ आरक्षित है। यू-2 भू-उपयोग की डी.सी.आर. अनुसार 60 फीट व अधिक मार्गाधिकार पर फार्म हाऊस अनुज्ञेय है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अनुसार आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 4 हैक्ट. से अधिक होने के कारण न्यूनतम 24 मीटर (80 फीट) पहुंच मार्ग आवश्यक हैं। 2. जोन चैकलिस्ट अनुसार तहसीलदार-जोविप्रा एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 40 फीट पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है। उक्त सड़क का मार्गाधिकार जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 100 फीट रखा जाना अपेक्षित हैं। 3. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में खसरा सं. 2191/2031 एवं 2193/74 के मध्य से कटान मार्ग हैं, जिसका निर्धारण समिति द्वारा किया जाना हैं। 4. आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्राधिकरण द्वारा पूर्व में उक्त सड़क पर खसरा सं. 18/1 व 471/11 फार्म हाऊस योजना अनुमोदित हैं। (PUC-3/C पर संलग्न है) 5. आवेदक द्वारा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कुल रकबा 9.9415 है. मे से 9.9094 हैक्ट. का आवेदन किया गया हैं। मानचित्र पर अमीन की रिपोर्ट अनुसार मौके पर 9.25526 है. भूमि उपलब्ध है। 6. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मे से एल.टी. लाईन गुजर रही है। आवेदित भूमि मौके पर रिक्त हैं। 7. प्रश्नगत भूमि का 90/क का आदेश दिनांक 20.03.2024 को फार्म हाऊस योजना प्रयोजनार्थ रकबा 99094 व.मी. का जारी किया गया है (पृष्ठ सं 72 पर सलग्न है), जो यह दर्शाता है कि आवेदित भूमि को न्यूनतम पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है।				
22.	प्रकरण में अनुशंषा की जाती है। हाँ/ना ?			हां	
23.	यदि बिन्दु संख्या 22 में ना है, तो उक्त का विवरण			-	
24.	निर्णय:- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया, विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				

	1. आवेदित भूमि के उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर (सड़क के मध्य बिन्दु से 15 मीटर) की सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में खसरा सं. 2191/2031 एवं 2193/74 के मध्य स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार 18 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावें। आपत्ति का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय अनुसार सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। आपत्ति का निस्तारण नहीं होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 2. रेरा अधिनियम-2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य हैं एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 3. आयोजना शाखा द्वारा नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए दिये गए सुझावों एवम् टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों को समावेश करते हुए समिति द्वारा ले-आउट प्लान जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। 4. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक द्वारा की जावें। उक्त की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावें। 5. फार्म हाऊस योजना में स्थित भूखण्डों के पट्टा-विलेख जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाऊस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 6. आवेदित भूमि में मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 7. अनुमोदित मानचित्र अनुसार प्रार्थी/आवेदक द्वारा मौके पर डिमार्केशन उपरान्त ही नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही जोन स्तर से की जावें। 8. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की स्थिति व क्षमता के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावें। साथ ही आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सड़क के सहारे आवेदक द्वारा शिफ्ट की जावें, जिसकी सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर से नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावें। 9. आवेदित भूमि में सड़क मार्गाधिकार में निर्माण नहीं होने की स्थिति में ही जोन स्तर से नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावें। 10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लिया जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावें। 11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
--	--

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
03. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
04. उपायुक्त (जोन-4), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि कृपया इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करें।

उप नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की 18/2024 वीं बैठक दिनांक 05.07.2024 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री उत्साह चौधरी, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. हरीतिमा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री महेन्द्र चौधरी, निदेशक आयोजना, जो.वि.प्रा., जोधपुर | सदस्य |
| 4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक अभियांत्रिकी, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री भूपेन्द्र कुमार, वरिष्ठ नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | |
| 6. श्री जयपाल सिंह राठौड़ , उपायुक्त (जोन-4), जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 7. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |
| 8. श्री सौरभ गहलोत, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | |

उप नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव

नमः भुक्तिक विज्ञापन-दस्तावेज पुनर्जांचा नव सचन 01/2023 जाधपुर जिला
रजि. क्र. सं. 586.9 दिनांक 16/11/2026 नमः भुक्तिक क्र. सं. 50

भुक्तिक क्रेता का नाम..... Rishabh Chopra

पिता / पति का नाम..... Anand Chopra

पता..... Arihant tower 5 B Road Nawajiwan

प्रयोजन..... Declaration Hospital ke pass Jodhpur

हस्ताक्षर की वशात..... Vikram Singh

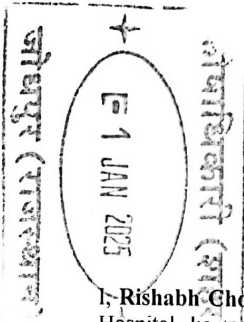


केता / हस्ताक्षर

नमः भुक्तिक के हस्ताक्षर
सहयोगी परिसर, बुद्धी भगतासनी
पिन कोड 340005

समस्तभूमि सचन	को. सं. 1983 के अन्तर्गत
1. जागरूकता ज. को. सं. 1983 के अन्तर्गत	15
2. जागरूकता ज. को. सं. 1983 के अन्तर्गत	5
कुल	15

DECLARATION

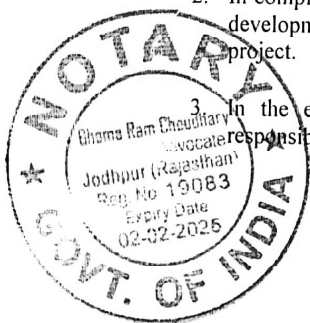


I, **Rishabh Chopra** S/o Anand Chopra aged 36 years R/o 52, Arihant Towar 5th B Road Nawajiwan Hospital ke pass, Sardarpura, Jodhpur, Rajasthan – 342001 promoter of the proposed project “NAVKAR FARMS” situated at Khasra No. 2191/2031, 2193/74, 75, 76, 76/1, 76/2 and 76/3 Village- Jhanwar, Tehsil- Jhanwar, District- Jodhpur, State-Rajasthan, do hereby solemnly declare, undertake and state as under;

1. Jodhpur Development authority has approved the project layout in their meeting dated 05.07.2024 with a condition “आवेदित भूमि में से गुजर रही विधुत लाईन की स्थिति व क्षमता के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जाये। साथ ही आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विधुत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विधुत लाईन को अन्यत्र सड़क के सहारे आवेदक द्वारा शिफ्ट की जावे। जिसकी सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर से नियमानुसर अग्रिम कार्यवाही की जाये।

2. In compliance with the said condition, we hereby undertake to shift the electric line during the development of the project. The shifting of the electric line will not affect any plots in the project.

3. In the event of any contradictions arising in the future, the promoter shall bear full responsibility.



RISHABH CHOPRA
Deponent

VERIFICATION

I, **Rishabh Chopra** S/o Anand Chopra aged 36 years R/o 52, Arihant Towar 5th B Road Nawajiwan Hospital ke pass, Sardarpura, Jodhpur, Rajasthan – 342001, do hereby verify the contents in para No. 1 to 3 of my above Affidavit cum Declaration are true verified by me.

ATTESTED

NOTARY, JODHPUR

RISHABH CHOPRA
Deponent



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001
email- jdanic-jod-rj@nic.in वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक :- 90-क जोन-4/2024/

दिनांक :- हस्ताक्षरित दिनांक

रजिस्ट्रार
राजस्थान रेरा
जयपुर।

विषय :- चन्द्रराम,भीकाराम पुत्र उर्जाराम वगैराह खसरा संख्या 2191/2031, 2193/74, 75, 76, 76/1, 76/2, 76/3 ग्राम झंवर फार्म हाउस के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक 314 दिनांक 19.03.2025 के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खसरा संख्या 2191/2031, 2193/74, 75, 76, 76/1, 76/2, 76/3 ग्राम झंवर फार्म हाउस योजना नवकार फार्म में किसी प्रकार के 12.5 प्रतिशत भूखण्ड बंधक के रूप में नहीं रखे गये हैं।

संलग्न:- स्वीकृत ले-आउट मिनट व ले-आउट की प्रति

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर
दिनांक :-

क्रमांक :- जोन-4/2024/
प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. उपायुक्त जोन-4, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

Signature valid



Digitally signed by Bhagirath Bishnoi
Designation: Secretary
Date: 2025.04.16 17:33:37 IST
Reason: Approval